छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्रमांक/PROJ/622/2026-WRD/F-1/669 अटल नगर, दिनांक 28/01/2026

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– गरियाबंद जिले के विकासखंड–गरियाबंद की सिकासार जलाशय परियोजना अंतर्गत कुकदा पिकअप वियर से निकलने वाली आर.बी.सी. नहर फिंगेश्वर डिस्ट्रीब्यूटरी को महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक विस्तारीकरण कार्य का सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :– प्र.अ.का पत्र क्र. 5069/बो.प्र./AA/मगोक/2025/9441, दिनांक 30.09.2025.

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक–351/एल 2019–31–00801/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17.06.2025 द्वारा जारी वित्त निर्देश 20/2025 में निहित कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुक्रमांक–2 का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखंड–गरियाबंद की सिकासार जलाशय परियोजना अंतर्गत कुकदा पिकअप वियर से निकलने वाली आर.बी.सी. नहर फिंगेश्वर डिस्ट्रीब्यूटरी को महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक विस्तारीकरण कार्य हेतु राशि रू. 245.58 लाख (रू. दो करोड़ पैंतालीस लाख अंठावन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–41, लेखा शीर्ष–4700–वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [80]–सामान्य {005}–सर्वेक्षण और निरीक्षण, 0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना–(4416)–सर्वेक्षण, #06–सर्वेक्षण के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. सर्वेक्षण कार्य के संबंध में शासन के पत्र क्र.–2421/एफ–7–15/31/एस–2/2024, दिनांक 30.05.2023 से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
6. सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. सर्वेक्षण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जाए।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता सर्वेक्षण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 27-01-2026
17:28:47
(विद्या भारती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

..2

पृ.क्र. / PROJ/622/2026-WRD/F-1/ 610 अटल नगर, दिनांक 28/01/2026
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर ।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू–जल सर्वेक्षण मंडल रायपुर (छ.ग.)।
13. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 27-01-2026
17:29:52

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग